राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट4/2010 जयपुर, दिनांक **24 AUG 2011**

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में निर्माणाधीन आवास में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्षा जल संग्रहण स्ट्रक्चर/टांके बनाये जाने के संबन्ध में।

संदर्भ :– कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 21.06.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा सामुदायिक एवं निजी भूमि पर भी पीने के पानी के लिए जल संग्रहण ढांचा बनाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। संदर्भित पत्र द्वारा दिशा निर्देशों की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते है कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन अथवा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवास हेतु वर्षा जल संग्रहण स्ट्रक्चर/टांके महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 1 (iv) में वर्णित व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण ढांचा/टांका निर्माण कराया जा सकता है। परन्तु इसके लिए निम्नानुसार शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा :–

1. इस कार्य का तकमीना पृथक से बनाना होगा।
2. कार्य को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नही होने की स्थिति में भी कराया जा सकेगा परन्तु इसे संशोधित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराना होगा।
3. कार्य के लिए **लाभार्थी का लिखित में आवेदन** करना आवश्यक होगा।
4. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 1(iv) में वर्णित व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार को **व्यक्तिगत लाभ के समस्त कार्यो के लिए श्रम : सामग्री को 60:40 के अनुपात में रखते हुए अधिकतम राशि रू. 1.50 लाख तक का व्यय कर लाभान्वित किया जा सकता है। इस राशि में "अपना खेत अपना काम" के अन्तर्गत कराये गये/कराये जाने वाले कार्य, अन्य कराये गये कार्य तथा आवास हेतु वर्षा जल संग्रहण स्ट्रक्चर/टांके पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।**
5. व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य केवल इस स्थिति में कराये जायेंगे कि **सामग्री मद पर 40 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में यह व्यय लाभार्थी स्वयं द्वारा वहन किया जायेगा एवं कार्य पूर्ण करना आवश्यक** होगा।
6. **लाभार्थी परिवार का इस कार्य पर कार्य किया जाना आवश्यक** होगा।

कृपया उक्तानुसार कार्य सम्पादित कराने का श्रम करें।

भवदीय
24/8/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

24/8/11
परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस